भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3001

उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2026

बुधवार, 27 फाल्गुन, 1947 (शक)

महामारी के दौरान कौशल विकास

3001. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 2020 और 2021 के लॉकडाउन के दौरान प्रशिक्षण केंद्र बंद रहे थे, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ऐसे केंद्रों को कोई राहत/सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार लॉकडाउन के कारण बाधित हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को मुआवजा प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण समय-समय पर होने वाले देशव्यापी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप कौशल प्रशिक्षण इकोसिस्टम (अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक) को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कक्षा एवं ऑन-साइट प्रशिक्षणों में व्यवधान शामिल था। महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप कौशल प्रशिक्षण कार्यकलाप रोक दिए गए और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट निर्देशों एवं लॉकडाउन तथा जन-स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी स्थानीय दिशानिर्देशों के अध्यधीन समय-समय पर करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रशिक्षण गतिविधियों का स्थगन और इसे फिर से शुरू किया जाना प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार शासित था।

निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यकलापों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया गया तथा प्रशिक्षण की निरंतरता में सहायता देने तथा कौशलीकरण इकोसिस्टम में हो रही बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत आवश्यक परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, महामारी के प्रभाव को कम करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा विभिन्न पहलें की गईं, जैसे भारत कौशल पोर्टल एवं तत्कालीन परिचालित ई-स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन/मिश्रित कौशल प्रशिक्षण, कोविड योद्धाओं हेतु अनुकूलित क्रैश पाठ्यक्रम, रिवर्स प्रवासियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम आदि।

कौशल विकास योजनाओं हेतु सामान्य मानदंड समिति (सीएनसी) द्वारा प्रति प्रशिक्षु तीन माह की अवधि के लिए औसत प्रशिक्षण लागत का 1.5 प्रतिशत अथवा (प्रशिक्षणरत ट्रेड की श्रेणी के अनुसार लागू) कोविड भत्तों के रूप में प्रति घंटा आधार लागत दर का 1.5 प्रतिशत स्वीकार किया गया।
